भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2173

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

†2173. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशिष्ट नियम बनाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नियमों के अंतर्गत सैनिटरी लैंडफिल स्थलों पर किन श्रेणियों के अपशिष्ट भेजे जाते हैं;
(ग) क्या ये नियम कचरा स्थलों के बायोमाइनिंग और जैव-उपचार के माध्यम से लैंडफिल अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और न्यूनीकरण को बढ़ावा देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा पहल को इन नियमों के अनुरूप लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार सभी शहरी स्थानीय निकायों में ऐसी परियोजनाओं को सहायता देने के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी समूहों में वृद्धि, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना शहरों पर लागू होंगे। नियमों के अनुसार, स्थानीय अधिकारी केवल गैर-उपयोग करने योग्य, गैर-पुनर्चक्रण योग्य, गैर-बायोडिग्रेडेबल, गैर-दहनशील और गैर-प्रतिक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से पूर्व-प्रसंस्करण रिजेक्ट और अवशेषों को सैनिटरी लैंडफिल में जाने की अनुमति देंगे।

नियमों के तहत स्थानीय अधिकारी बायोमाइनिंग और बायो-रेमेडिएशन की उनकी संभावना के लिए सभी पुरानी खुली डंपसाइटों और मौजूदा संचालित डंपसाइटों की जांच और विश्लेषण करेंगे और जहां भी संभव हो, साइटों को बायो-माइन या बायो-रिमेडिएट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और लैंडफिल में जाने वाले शून्य कचरे के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रिजेक्ट का पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पुराने कचरे के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और पुराने कचरे के जैव-खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों को लागू करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश भी जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, स्वच्छता राज्य का विषय है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की कमी का आकलन करने, योजना बनाने, डिजाइन करने, निष्पादित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली/प्रक्रियाओं के मानक (एसओपी) साझा करके नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है।

एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपशिष्ट-से-खाद (डब्ल्यूटीसी), अपशिष्ट-से-ऊर्जा (डब्ल्यूटीई), बायो-मिथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) और पुराने अपशिष्ट की डंपसाइट का शोधन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के एमएसडब्ल्यू प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय हिस्से (सीएस) की सहायता दी जाती है।

शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन यूएलबी/राज्य सरकारों को करना है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी, स्थलाकृति, शामिल कचरे के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों आदि के आधार पर क्लस्टर या विकेंद्रीकृत विकल्प चुनते हैं।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, 911.14 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 216.76 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से वाले 5128.74 टीपीडी के डब्ल्यूटीई संयंत्रों को अनुमोदित किया गया है।

*****